जारी/श्री अतुल
21/10/22

(2)

संख्या–2299 / 24–पी–3–2022–2299 / 2022

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

ज्यो
21/10/22

सेवा में,

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(3) कार्यवाहक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 21 अक्टूबर, 2022

विषयः– "उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0:–1099 / 87–8(1)अति0ऊ0 सं0वि0 / 2022, दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 द्वारा "उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022" के प्रस्तर सं0:- **2.7 एवं 4.1** को लागू किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि अपशिष्ट पर आधारित बायोकोल परियोजनाओं की स्थापना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला आधारित बिजली सयंत्रों के परिसरों में अप्रयोज्य भूमि उपलब्धता एवं वाणिज्यिक नियम तथा शर्तो के आधार पर अथवा उनके सन्निकट कराने, इनकी आपूर्ति/उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के साथ जलाने तथा अन्य उपयोग हेतु निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– इसके अतिरिक्त स्वतंत्र विद्युत उत्पादक द्वारा भी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार बायोकोल क्रय किया जाय।

4– उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के अन्तर्गत स्थापित जैव ऊर्जा उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ की तिथि से 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क में शत–प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

आज्ञा से

(सत्यवान सिंह)
उप सचिव।

14/10/22

14/10/22

mycomputer/d:drive.mm/letter-4